# न्यायालय उपजिलाधिकारी बारा इलाहाबाद

वाद संख्या T201802030700687 सन् 2017–18 ई0 धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
मौजा भड़िवार परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद
प्राइड द्वारा प्रबन्धक कुवंरबहादुर सिंह बनाम ग्राम पंचायत
नकल निर्णय आदेश दि० 03-04-18

प्रस्तुत वाद की पत्रावली वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2018 के क्रम में प्रस्तुत हुयी। प्रस्तुत पत्रावली में प्राइड द्वारा प्रबन्धक कुवंरबहादुर सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह नि0 ग्राम टिकरौही खुर्द परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद ने ग्राम पंचायत को प्रतिवादी बनाते हुये नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र 25 पर मय शपथपत्र इस कथन के साथ दायर किया है कि वे मौजा भड़िवार परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद की आराजी संख्या 595 रकबा 0.902है0 मे से रकबा 0.602है0है0 व आ0 सं0 598 रकबा 0.354है0 कुल 2 गाटा कुल रकबा 0.955है0 संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे काबिज दखील कास्तकार है, और उक्त भूमि के आंशिक भाग पर विद्यालय भवन का निर्माण कराकर अकृषिक प्रयोग कर रहा है एंव उक्त भूमि का उपयोग कृषि, उद्यानकरण, अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्बर्धन एवं कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से भिन्न प्रयोजन हेतु प्रयोग की जा रही है। और अन्त मे याचना किया कि उक्त भूमि को आकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाये। इस सम्बन्ध मे तहसीलदार बारा की जॉच आख्या मगाई गयी तहसीलदार बारा द्वारा दिनांक 01.02.2018 को आराजी संख्या 595 रकबा 0.902है0 में से रकबा 0.602है0है0 व आ0 सं0 598 रकबा 0.354है0 कुल 2 गाटा कुल रकबा 0.955है0 भूमि को गैरकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी। तदनुसार वाद दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस जारी किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा निमानुसार दिनांक 26.03.2018 को आदेश पारित किया गया। आपत्तिकर्ता वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन/संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2018 के क्रम में पर वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मैने वादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को ध्यान पूर्वक सुना और पत्रावली का परिशीलन किया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत खाता सं0 25 मौजा भड़िवार के आधार पर उक्त भूमि पर कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है से असम्बद्ध प्रयोजन हेतु प्रयुक्त की जा रही है। तहसीलदार बारा की आख्यानुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार उक्त भूमि को गैरकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक अडचन प्रतीत नही होती है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 26.03.2018 निरस्त कर मौजा भड़िवार की आराजी सं0 595 रकबा 0.902है0 में से रकबा 0.602है0है0 व आ0 सं0 598 रकबा 0.354है0 कुल 2 गाटा कुल रकबा 0.955है0 भूमि को विद्यालय के प्रयोग हेतु अकृषिक घोषित कर प्रख्यापित किया जाता है। तहसीलदार बारा की आख्या आदेश का अंग होगा। आदेश की सत्य प्रतिलिपि ज0वि0अधि0 के नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत निबन्धन हेतु उपनिबन्धक बारा को भेजी जाय एवं परवाना अमलदरामद जारी होए बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–

03/4/18
(अर्पित गुप्ता)
उपजिलाधिकारी
बारा इलाहाबाद

सत्य प्रतिलिपि
...अधिकारी

प्रबंधक
प्राइड कालेज/ऑफ फार्मेसी
अमरपुर भड़िवार शंकरगढ़
प्रयागराज

संयुक्तता प्रमाणपत्र/ नजरी नक्शा

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील बारा इलाहाबाद

महोदयजी,

निवेदन है कि प्राइड कालेज प्रबन्धक कुँवरबहादुर सिंह पु. रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम टिकरौंहीखुर्द परगना व तहसील बारा इलाहाबाद निम्नलिखित निवेदन करती हूँ-

1. यह कि आवेदक की मौजा- भीखार की आराजी 595 रकबा 0.702हे0 व 597 रकबा 0.160 हे0 व 592रकबा 0.137 हे0 व 598 रकबा 0.354 हे0 कुल 1.553हे0 एक हेक्टेयर पांच सौ तिरपन आयर में भूमि संयुक्त है।

2. यह कि आवेदक की उपरोक्त भूमि संयुक्त है जिसका आवेदक संयुक्ततापुमाणपत्र चाहता है एवं उपरोक्त भूमि सम्पूर्ण अंश आवेदक का है।

3. यह कि आवेदक को संयुक्तता प्रमाणपत्र दिये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है एवं साथ में नजरीनक्शा भी दिया जाय।

4. यह कि न्यायहित में संयुक्तता प्रमाणपत्र निर्गत किया जाय।

5. यह कि संयुक्तता प्रमाणपत्र/ नजरी नक्शा भी न्यायहित में उपलब्ध कराया जाय।

R.I/L [illegible] 24.4.18

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि आवेदक उपरोक्त की आराजियात आर आई/ ले0 से जांच आख्या प्राप्त कर संयुक्तता प्रमाणपत्र निर्गत करें।

दिनांक 23-4-2018

प्रबन्धक/ प्राइड कालेज/ एजूकेशन
टिकरौंही खुर्द, भीखार बारा इला0

महोदय
[illegible] 595/0.702, 597/0.160, 592/0.137 व 598/0.354 [illegible] 1.553 हे0 [illegible]

महोदय,
[illegible]

रामसेवक पाल
रा0नि0-शंकरगढ़
तहसील-बारा
इलाहाबाद

1/5/018

25-4-18
सहदेव-लेखपाल
क्षेत्र..................
तह0 बारा, इलाहाबाद

तहसीलदार-बारा
इलाहाबाद

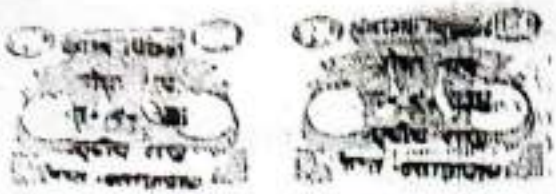

सेवा में,

[illegible] अधिकारी [illegible]

विषय- [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] का सुरक्षा प्रमाण / नक्शा [illegible] की भूमि का प्रमाण -

महोदय,

प्राइड [illegible] प्रबन्धक कुंवर बहादुर सिंह पु० रघुनन्दन सिंह निवासी [illegible] [illegible] दरखास्त व [illegible] [illegible] निम्नलिखित है-

1- [illegible] प्राइड संस्था [illegible] प्रबन्धक [illegible] नक्शा एवं सुरक्षा प्रमाण [illegible] है [illegible] आरक्षित आराजी के प्रमाण की आवश्यकता है।

2- [illegible] आरक्षित [illegible] प्रमाण [illegible] किसी [illegible] की [illegible] न है और न [illegible]

3- [illegible] निरीक्षण है आरक्षित आराजी का नक्शा एवं सुरक्षा प्रमाण / [illegible] है [illegible] भूमि का प्रमाण रिपोर्ट [illegible] गया।

4- [illegible] आरक्षित आराजी का नक्शा एवं सुरक्षा प्रमाण [illegible] है [illegible] भूमि [illegible] गया।

5- [illegible] संस्थाने आरक्षित आराजी का नक्शा [illegible] सुरक्षा प्रमाण [illegible] है [illegible] भूमि [illegible]

[illegible] निरीक्षण [illegible]

है आवश्यक [illegible] प्रमाण [illegible] करने की कृपा करें।

महोदय जी

मौजा मड़िवार की अराजी सं $\frac{592}{0.137}$ व $\frac{597}{0.160}$ ,ची व $\frac{595}{0.302}$ में $\frac{1}{3}$ भाग 0.101 कुल रकबा 0.398 ------
प्राइड द्वारा प्रबन्धक कुंवर बहादुर सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह [illegible] [illegible] [illegible] महाविद्यालय का [illegible] है एवं [illegible] [illegible] अराजी [illegible] [illegible] रिपोर्ट प्रेषित है।

प्रबन्धक
प्राइड कॉलेज ऑफ फार्मेसी
अमरपुर मड़िवार शंकरगढ़
प्रयागराज

Scanned by CamScanner

नकल — आदेश पत्र दि० - 13/10/22

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील :बारा
वाद संख्या :-6385/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202030706385
प्रबंधक कुवर बहादुर सिंह बनाम ग्राम पंचायत
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद में वादी पाइड अमरपुर टिकरौही खुर्द जरिये प्रबन्धक कुंवर बहादुर सिंह पुत्र स्व0 रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम टिकरौही खुर्द परगना व तहसील बारा जिला प्रयागराज ने ग्राम पंचायत को प्रतिवादी बनाते हुये आर0सी0 प्रपत्र 25 पर इस कथन के साथ योजित किया कि मौजा भडिवार परगना व तहसील बारा जिला प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1429-1434फ0 में खाता सं0 62 की आराजी संख्या 586 रकबा 1.6460हे0 में से रकबा 0.5486हे0 का संक्रमणीय भूमिधर के रूप में काबिज दखील काश्तकार है और उक्त भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न गैरकृषि प्रयोजन में किया जा रही है। अन्त में याचना किया कि उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाये। इस सम्बन्ध में तहसीलदार बारा से जाँच आख्या मगाई गयी। तहसीलदार बारा द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 22.04.2022 के द्वारा आराजी संख्या 586 रकबा 1.6460हे0 में से रकबा 0.5486हे0 भूमि को गैरकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी।

तद्नुसार उपनिबन्धक बारा से आख्या मंगाई गयी। उपनिबन्धक बारा द्वारा अपनी आख्या दिनांक 27.04.2022 को प्रश्नगत भूमि सं0 586 रकबा 1.6460हे0 में से रकबा 0.5486हे0 की जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज द्वारा निर्गत प्रचलित मूल्यांकन सूची के भाग 2 प्रारूप 4 के पृष्ठ 43 कालम 10 पर उल्लिखित बेसिक वैल्यू 945000हे0 की दर से कुल मालियत 519000रु0 होती है। कुल मूल्यांकन धनराशि 519000रु0 पर अकृषक उद्घोषणा शुल्क के रूप में 1 प्रतिशत की दर से 5190रु0 की धनराशि देय है। कुल मूल्यांकन धनराशि 519000रु0 पर न्याय शुल्क के रूप में एक प्रतिशत की दर से 5190रु0 की धनराशि का स्टाम्प देय है की आख्या प्रेषित की गई।

वादी द्वारा मु06200रु0 चालान संख्या 22 दिनांक 05.09.2022 को इलाहाबाद बैंक जसरा (बारा) प्रयागराज में विभाजन शुल्क व उद्घोषणा शुल्क जमा किया गया है और न्याय शुल्क के रूप में मु05200रु0 ई-स्टाम्प अदा किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई देय बनता है तो वादी स्वयं जमा करेगा। तद्नुसार वाद दर्ज रजिस्टर किया गया है। किसी के द्वारा आज तक कोई आपत्ति नहीं आयी।

मैने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को ध्यान पूर्वक सुना और पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त आराजी संख्या 586 रकबा 1.6460हे0 में से रकबा 0.5486हे0 विद्यालय प्रयोजन हेतु प्रयुक्त की जायेगी। तहसीलदार बारा की आख्यानुसार उक्त भूमि को गैरकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम भडिवार परगना व तहसील बारा जिला प्रयागराज की खतौनी वर्ष 1429-1434फ0 के खाता सं0 62 की आराजी संख्या 586 रकबा 1.6460हे0 में से रकबा 0.5486हे0 भूमि अकृषिक प्रयोग होने के कारण कृषि से भिन्न गैरकृषिक प्रयोजन हेतु धारा 80(2) के अन्तर्गत इस आशय से प्रख्यापित किया जाता है कि यदि भूमिधर, इस उप धारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो धारा 80 की उप धारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। तहसीलदार बारा की आख्या दिनांक 22.04.2022 आदेश का अंग होगा। आदेश की सत्य प्रतिलिपि निबन्धन हेतु उप निबन्धक बारा को भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

पृष्ठ संख्या :

दिनांक- 13-10-22

(हस्ताक्षर) 13/10/22
(शुभम)
उपजिलाधिकारी
बारा, प्रयागराज

सत्य प्रतिलिपि
(हस्ताक्षर) 14/10/22

न्यायालय उपजिलाधिकारी बारा इलाहाबाद

वा० सं० 38 वर्ष 2013 धारा 143 ज०वि०अधि०

प्राइड द्वारा प्रबन्धक कुंवर बहादुर सिंह बनाम ग्राम पंचायत

मौजा मड़िवार परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद

आदेश निर्णय दि० – 11-6-2013

प्रस्तुत वाद प्राइड द्वारा प्रबन्धक कुंवर बहादुर सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह निवासी टेकरौहा खुर्द परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद ने ग्राम पंचायत को प्रतिवादी बनाते हुए इस कथन के साथ दायर किया है कि वह मौजा मड़िवार परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद की आराजी नम्बर 592 रकबा 0.137 हे० व 597 रकबा 0.160 हे० कुल दो गाटा रकबा 0.297 हे० व खाता सं० 330 की आ० सं० 595 रकबा 0.902 हे० में से रकबा 0.301 हे० भूमि बैनामा द्वारा क्रय किया है का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है वादी उक्त भूमि में कृषि कार्य नही कर रहा है उक्त भूमि में बाउन्ड्री वाल कराकर उसमें मकान निर्माण करा लिया है । वादी उक्त भूमि को कृषि उपयोग से परिवर्तित करके आबादी के रूप में प्रयोग कर रहा है वादी ने अन्त में याचना किया है कि उक्त भूमि को कृषि उपयोग से परिवर्तित करके अकृषिक घोषित किया जाय तथा लगान से मुक्त किया जाय । इस सम्बन्ध में तहसीलदार बारा से जाँच आख्या प्राप्त की गयी । दिनांक 0[illegible]-06-2013 को अकृषिक घोषित करने की रिपोर्ट तहसीलदार बारा ने दिया। तदनुसार वाद दर्ज रजिस्टर किया गया ।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना। पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया और पाया कि उक्त भूमि में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन तथा बागवानी आदि का कार्य नहीं हो रहा है। आवासीय प्रयोजन मे प्रयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है ।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा मड़िवार परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद की आराजी नम्बरान 592 रकबा 0.137 हे० व 597 रकबा 0.160 हे० कुल दो गाटा रकबा 0.297 हे० व आ० सं० 595 रकबा 0.902 हे० में से रकबा 0.301 हे० प्राइड द्वारा प्रबन्धक कुंवर –

....2

प्रबंधक
प्राइड कॉलेज ऑफ फार्मेसी
अमरपुर मड़िवार शकरगढ़
प्रयागराज

बहादुर सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह निवासी टिकरीही खुर्द पचमना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद बतौर सहखातेदार भूमिधर काबिज दखील है विवादित भूमि जिस पर कृषि कार्य न होकर बाउन्ड्रीवाल/ मकान बनाकर विद्यालय/ आबादी के रूप में प्रयोग होने के कारण भू- राजस्व से मुक्त कर प्रख्यापित किया जाता है इस आदेश का प्रभाव किसी अन्य सहखातेदारों के स्वत्व पर नहीं पड़ेगा|आदेश की सत्यापित प्रति उ0वि0अधि0 के नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत निः शुल्क निबंधन हेतु उपनिबन्धक तहसील बारा को भेजी जाय परवाना अमलदरामद जारी हो|बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दा0 द0 हो ।

11.6.2013
( राम मूर्ति मिश्र )
उपजिलाधिकारी,बारा
इलाहाबाद

सत्य प्रतिलिपि
11-6-13
प्रशासनिक अधिकारी

58

11-6-13
11-6-13
11-6-13
11-6-13
14114.02

प्रबंधक
प्राइड कालेज ऑफ फार्मेसी
अमरपुर मड़ियार शंकरगढ़
प्रयागराज